JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

आत्म–निर्भर भारत की परिकल्पना में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का विष्लेषण

डॉ. मीना कीर

सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस

षा. नर्मदा महाविद्यालय, नर्मदापुरम (म.प्र.)

आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने का भाव समाहित हैं। स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने से न केवल रोजगार की समस्या का समाधान प्राप्त हो सकेगा, अपितु देष के आर्थिक विकास की गति में भी वृद्धि लाई जा सकेगी। इन्हीं उद्देष्यों को दृष्टिगत रखते हुए देष की केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई हैं। इस योजना का पूरा नाम माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी है, जो इस योजना के उद्देष्यों को भी स्पष्ट करता है। इस योजना का समग्र लक्ष्य देष के छोटे उद्योगों को सषक्त बनाकर भारत की अर्थव्यवस्था का विकास करना है। स्वरोजगार के प्रति लोगों को जागरूक करना, छोटे उद्योगों के लिये आसान ऋण के लिये उद्यमियों को प्रोत्साहित करना तथा योजना का समग्र मूल्यांकन करना ही इस षोधपत्र का उद्देष्य है।

षब्द कुंजी – आत्मनिर्भर भारत, उद्यमिता विकास, आर्थिक सषक्तिकरण, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना – प्रकार, पात्रता, प्रक्रिया, एवं विष्लेषण।

प्रस्तावना –

भारतीय अर्थव्यवस्था को सषक्त बनाने हेतु भारत की केन्द्र सरकार द्वारा कई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस योजना का षुभारंभ केन्द्र सरकार द्वारा 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। इस योजना को प्रारंभ हुए 10 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा देष के छोटे तथा मध्यम आकार के उद्योगों के लिये उनकी वित्तीय आवष्यकताओं को पूरा करने के उद्देष्य से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत उद्यमियों को अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिये बिना किसी गारण्टी के छोटी रकम का ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत छोटे उद्योगों के माध्यम से रोजगार सृजन के लक्ष्य को भी दृष्टिगत रखा गया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के उद्देष्य –

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देष्य स्वयं का रोजगार स्थापित करने की इच्छा रखने वाले ऐसे उद्यमियों को, जिन्हें वित्त की आवष्यकता है तथा जिनके पास आवष्यक संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, आसानी से बिना किसी गारण्टी के ऋण उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त इस योजना के अन्य उद्देष्य निम्नलिखित हैं –

1. सूक्ष्म वित्त के ऋणदाताओं और ऋणगृहिताओं का नियमन सुनिष्चित करना।
2. सूक्ष्म वित्त प्रणाली में नियमन और समावेशी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए उसे स्थायित्व प्रदान करना।
3. सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई), छोटे व्यापारियों, स्वसहायता समूहों और व्यक्तियों को उधार देने वाली एजेंसियों को वित्त एवं उधार गतिविधियों में सहयोग देना।
4. ऋण लेने वालों को ढांचागत दिशानिर्देश उपलब्ध कराना।
5. मानकीकृत नियम–पत्र तैयार करना, जिससे भविष्य में सूक्ष्म व्यवसाय का आधार तैयार किया जा सके।
6. सूक्ष्य व्यवसायों को दिए जाने वाले ऋण की गारंटी देने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम बनाना।
7. वितरित की गई पूंजी की निगरानी, ऋण लेने और देने की प्रक्रिया में सहायता के लिए उचित तकनीक उपलब्ध कराना।
8. छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रभावी तरीके से छोटे ऋण उपलब्ध कराने की प्रभावी प्रणाली विकसित करना।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभ –

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के प्रमुख लाभ निम्नानुसार हैं –

1. योजना के अंतर्गत कुछ भी न्यूनतम ऋण राषि नहीं है।
2. ऋण के लिये किसी गारण्टी की आवष्यकता नहीं है।
3. ऋण लेने में किसी भी प्रकार का प्रक्रिया षुल्क नहीं लगता है।
4. ऋण चुकाने की अवधि को 5 वर्ष तक के लिये बढ़ाया जा सकता है।
5. ऋण की राषि को मुद्रा कार्ड की सहायता से निकाला जा सकता है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत पात्रता –

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत गैर–नौकरी पेषा व्यक्ति, एकाकी व्यापारी, साझेदारी संस्था, सूक्ष्म उद्योग, खुदरा विक्रेता, छोटे निर्माता और कारीगर तथा अन्य व्यावसायिक संस्थाएं पात्र हैं। योजना के अंतर्गत कृषि– (फसल, पॉल्ट्री फार्म, मछली पालन, डेरी), फूड– (जैम और जेली पापड़, बिस्किट और ब्रेड

बनाना, फल और सब्जी बेचना तथा इनमें प्रयुक्त मषीनें), सेवा– (बुटीक, केमिस्ट की दुकान, सलून, ड्राई क्लीनिंग, फोटोकॉपी की सुविधा), टेक्स्टाइल– (जरी, कढ़ाई, चिकन का काम, बुनाई), ट्रांसपोर्ट– ई–रिक्षा, छोटे कामर्षियल वाहन, ऑटो रिक्षा वाहन खरीदी) इत्यादि क्षेत्रों के लिये ऋण सहायता प्रदान की जाती है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण के प्रकार –

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिये जाने वाले ऋण को मुद्रा ऋण कहा जाता है। भारत का कोई भी नागरिक इस ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत मुद्रा ऋण की तीन श्रेणियां हैं –

1. षिषु ऋण –

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिये जाने वाले ऋण की यह सबसे छोटी श्रेणी है। इस श्रेणी में 50,000 रूपये तक का ऋण बिना किसी गारण्टी के दिया जाता है। स्टार्टअप और सुक्ष्म उद्योगों के लिये ऋण की यह श्रेणी सबसे उपयुक्त है।

2. किषोर ऋण –

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिये जाने वाले ऋण की यह दूसरी श्रेणी है। इस श्रेणी में 50,000 रूपये से 5 लाख रूपये तक का ऋण बिना किसी गारण्टी के दिया जाता है। यह श्रेणी उन व्यापारियों के लिये बहुत अच्छी है, जिनका पहले से व्यापार चल रहा है और वे इसका विस्तार करना चाहते हैं।

3. तरूण ऋण –

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिये जाने वाले ऋण की यह सबसे बड़ी श्रेणी है। इस श्रेणी में 5 लाख रूपये से 10 लाख रूपये तक का ऋण बिना किसी गारण्टी के दिया जाता है। हाल ही में इस ऋण की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रूपये कर दिया गया है। यह श्रेणी उन व्यापारियों के लिये अच्छी है, जो एक बड़ा व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत उप–योजनाएं –

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत व्यवसाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई उप–योजनाएं बनाई गई हैं, जो निम्न प्रकार हैं –

1.क्रेडिट फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेज –

यह उप–योजना मुद्रा योजना के सबसे बुनियादी उद्देष्य, लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर केन्द्रित है, जिससे योजना का लाभ अधिकतम लोगों को मिल सके और लाभार्थियों की संख्या बढ़ती रहे। ऐसे लोग जो भूमि, परिवहन, खाद्य उत्पादन, कपड़ा उत्पादन और सामुदायिक सेवाओं के अंतर्गत अपना व्यवसाय

प्रारंभ करना चाहते हैं, वह इस योजना का लाभ प्राप्त सकते हैं और आत्मनिर्भर बनने हेतु अपना छोटा व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं।

2. महिला व्यवसाय स्कीम –

यह उप–योजना महिला व्यवसायी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिसका उद्देष्य महिलाओं, महिलाओं के समूहों, संयुक्त दायित्व समूहों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा छोटे व्यापार को प्रारंभ करने हेतु प्रोत्साहित करना है। इस महिला व्यवसाय स्कीम के तहत महिला व्यापारियों को ब्याज पर विशेष छूट भी दी जाती है।

3 .बैंकों के लिए रि–फाइनेंस स्कीम –

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की इस उप–योजना के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों को रि–फाइनेंस सहायता प्राप्त होती है। यह री–फाइनेंस केवल निर्माणी और सेवा क्षेत्र के छोटे और लघु उद्योगों के लिए किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा योजना के लिए जारी किए दिशा–निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित कमर्शियल बैंकों को रि–फाइनेंस स्कीम का लाभ उठाने के लिए ऋण आवेदकों को अपने बेस रेट पर ही ऋण देना होगा। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय, ग्रामीण और को–ऑपरेटिव बैंक रि–फाइनेंस के लिए मुद्रा ऋण पर ब्याज की दर 3.5 प्रतिषत से अधिक या रि–फाइनेंस रेट से अधिक रखनी होगी।

4. माइक्रो क्रेडिट स्कीम –

यह उप–योजना सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को उनकी आवष्यकता के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम के जरिए लोगों को, लोगों के समूहों को और छोटी व्यापारिक संस्थाओं को ऋण प्रदान किया जाता है।

5. मुद्रा कार्ड स्कीम –

मुद्रा कार्ड इस योजना के अंतर्गत एक विशेष सुविधा है, जिससे आवष्यकता के समय मुद्रा खाते से राषि निकाल सकते हैं और बाद में उस राषि को मुद्रा खाते में फिर से जमा करके उसका भुगतान कर सकते हैं। यह स्कीम ओवरड्राफ्ट की तरह काम करती है। मुद्रा खाते को ऋण माना जाता है और ब्याज भी उसी राषि पर लगता है जिसे निकाला गया है। इस कार्ड का उपयोग पीओएस मशीन पर भी किया जा सकता है।

6. क्रेडिट गारंटी फंड –

इस उप–योजना को मुद्रा ऋण देने वाली संस्थाओं के लिए उनके जोखिम को कम करने के लिए बनाया गया है। इस उप–योजना के अंतर्गत बैंकों व ऋण संस्थानों को उनके द्वारा दिए गए मुद्रा ऋण की क्रेडिट गारण्टी प्रदान की जाती है। माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड एक ऐसा फंड है जिसे

भारत सरकार की नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी लिमिटेड) द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

7. उपकरण फाइनेंस स्कीम–

यह स्कीम उन छोटे व्यापरियों के लिए बनाई गई है, जिन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद की आवष्यकता है। इस स्कीम की सहायता से अच्छे उपकरणों को फाइनेंस के जरिए खरीदा जाता है। यह स्कीम कंपनियों को अपने उत्पाद का विस्तार करने में सहायता प्रदान करती है ।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया एवं आवष्यक प्रपत्र –

संभी बैंक मुद्रा ऋण नहीं देते, लेकिन जो भी बैंक इसमें संलग्न हैं, मुद्रा ऋण के लिये उनकी प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। जिस बैंक से मुद्रा ऋण लेना है, आवेदक का उसी बैंक में खाता होना भी आवष्यक नहीं है, लेकिन यदि आवेदक का उसी बैंक में खाता है, तो मुद्रा ऋण मिलने में आसानी होती है, जिसमें 7 से 10 दिन का समय लगता है।

वर्तमान में कुल 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अंतर्गत आने वाली 98 से अधिक वित्तीय संस्थाएं इस प्रकार का ऋण प्रदान करने की सुविधा दे रहीं है। इसके अतिरिक्त 27 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 17 निजी क्षेत्र के बैंक, 2 विदेषी बैंक तथा 25 सूक्ष्म वित्तीय संस्थान भी प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना की प्रक्रिया में संलग्न हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा ऋण प्राप्त करने हेतु बैंक में पैन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट (उद्योग सम्बंधी जानकारी), पिछले 6 माह का बैंक स्टेटमेंट, उद्योग से सम्बंधित लाइसेंस, प्रपत्र एवं प्रमाणपत्र, कोटेषन (सामान एवं मषीन के लिये), पिछले तीन आयकर रिटर्न, विधिवत भरे हुए फॉर्म के साथ दो फोटो तथा बैंक द्वारा मांगे गए अन्य कोई दस्तावेज जमा करने होते हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उपलब्धियां –

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को वर्ष 2015 में गैर–कॉरपोरेट, गैर–कृषि छोटे एवं सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख रूपये तक का ऋण देने के लिये प्रारंभ किया गया था। यह योजना गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) जैसे वित्तीय संस्थानों के माध्यम से गैर–कॉरपोरेट लघु व्यवसाय को वित्त पोषण प्रदान करती है।

कोविड काल में वर्ष 2020–21 को छोड़कर अपनी स्थापना से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 तक इस योजना ने अपने राष्ट्रीय स्तर के सभी लक्ष्यों को पूर्ण किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में समाज के सभी वंचित वर्गों नये उद्यमियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

इस योजना में महिलाओं पर विषेष ध्यान दिये जाने के कारण मुद्रा ऋण लेने वाले चार लोगों में से तीन महिलाएं हैं। महिला उद्यमियों को सषक्त बनाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये बनाई गई

यूनाइटेड महिला उद्यमी योजना विषेष रूप से महिला उद्यमियों के लिये ही है, जो कि मुद्रा योजना का ही एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत उत्पादन, निर्माण एवं सेवा क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाएं, जिनकी किसी कम्पनी में 50 प्रतिषत से अधिक वित्तीय साझेदारी है, मुद्रा ऋण के लिये आवेदन कर सकती हैं।

अप्रैल 2015 में इस योजना की स्थापना के बाद से 32.53 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये गये थे। श्रम और रोजगार मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार इस योजना ने वर्ष 2015 से वर्ष 2018 तक 1.12 करोड़ अतिरिक्त रोजगार सृजन में सहायता प्रदान की है। इन 1.12 करोड़ रोजगार सृजन में 69 लाख महिलाएं (62 प्रतिषत) षामिल हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अधिकृत बेवसाइट के अनुसार 31 मार्च 2020 तक ही योजना के तहत 3,37,465.13 करोड़ रूपये का ऋण स्वीकृत किया जाकर 3,29,684.63 करोड़ रूपये का ऋण प्रदान किया जा चुका था।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण पर ब्याज की दरें एवं लागत –

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण पर ब्याज की कोई निष्चित दर नहीं है। विभिन्न बैंक इस योजना के अंतर्गत भिन्न दरों से ब्याज लगाते हैं। ऋण की राषि के साथ–साथ ब्याज की दर भी बदलती रहती है। सामान्य रूप से इस योजना के अंतर्गत ऋण पर ब्याज की दर 9 प्रतिषत से 12 प्रतिषत के बीच है तथा आवेदक की प्रोफाइल के अनुसार प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जाती है।

तालिका – 1

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण पर ब्याज की दरें

मुद्रा योजना का प्रकार	ऋण की राषि	ब्याज की दर
षिषु ऋण	50,000 रूपये तक	10 से 12 प्रतिषत
किषोर ऋण	5 लाख रूपये तक	14 से 17 प्रतिषत
तरूण ऋण	20 लाख रूपये तक	16 प्रतिषत से अधिक

स्त्रोत – प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अधिकृत बेवसाइट, वर्ष 2025

तालिका में प्रदर्षित ब्याज की दरों के साथ–साथ बैंक षुल्क और प्रोसेसिंग फीस भी आवेदक को भुगतान करनी होती है, जिसका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण विवेक पर निर्भर करता है तथा इनमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है। इसके अतिरिक्त उल्लिखित षुल्क पर जीएसटी और सर्विस टैक्स भी देय होता है। प्रत्येक मुद्रा ऋण पर भुगतान अवधि 5 वर्ष तक की होती है, जिसमें बैंक अथवा वित्तीय संस्थान द्वारा कोई गारण्टी या सुरक्षा की आवष्यकता नहीं होती।

निष्कर्ष –

देष के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से सषक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार देने के लिये देष में कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन्हीं योजनाओं में एक प्रयास प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से छोटे तथा नवीन उद्यमियों को मुद्रा ऋण प्रदान करके किया जा रहा है, जिससे छोटे तथा नवीन उद्यमी अपने व्यवसाय को एक बड़े स्तर पर ले जा सकें तथा देष के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकें। वास्तव में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऐसे लोगों के सपनों को साकार करने का अभिनव प्रयास है, जो अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं तथा जिनके पास आवष्यक पूंजी और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।

MUDRA (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्थान है। भारत में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली ऋण की राषि एक आर्थिक सहायता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत तीन प्रकार के ऋण प्रदान किये जाते हैं।

आत्म निर्भर भारत की संकल्पना तभी साकार होगी, जब देष के नागरिक आत्मनिर्भर और सषक्त होंगे। इसी उद्देष्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बिना किसी गारण्टी के आसानी से ऋण उपलब्ध होने पर लोग स्वरोजगार के लिये प्रोत्साहित होंगे और रोजगार का सृजन होने से बेरोजगारी की समस्या का समाधान उपलब्ध हो सकेगा।

संदर्भ –

1. वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय रिजर्व बैंक, 2024–25
2. वार्षिक प्रतिवेदन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2022–23, 2023–24, 2024–25
3. https://www.mudra.org.in
4. आर्थिक सर्वेक्षण, मध्यप्रदेष षासन
5. रोजगार समाचार, नई दिल्ली